न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	11.01.2021	06.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री रोहित स्वामी पुत्र श्री दयाल दास स्वामी एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी गुर्जर मोहल्ला केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक राज.
2—श्री दयाल दास स्वामी पुत्र श्री पूरब चन्द प्रोपरायटर मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी गुर्जर मोहल्ला केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक राज.
3—श्री बलदेव विजयवर्गीय पुत्र श्री राधेश्याम विजयवर्गीय प्रोपरायटर मैसर्स अंकित मेडिकल्स मेहन्दी बाग टोंक जिला टोंक निवासी नाथडी रोड पीपलू जिला टोंक
4—श्री राजेश देवजानी प्रोपरायटर मैसर्स सत्यम हेल्थ केयर 150 / 01 बेसमेन्ट शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर
5—श्री सुमन्त कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स श्याम फार्मा एस—67, ग्राउण्ड फलोर, ब्लॉक—एस, फेज—प्रथम, बडली इण्डस्ट्रीयल एरिया बडली दिल्ली निवासी मकान नं. ई—23 ग्राउण्ड फलोर, सेक्टर 1, रोहिणी अवन्तिका, रोहिणी सेक्टर—7, नारेला नोर्थ वेस्ट दिल्ली

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
2—अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुमन्त कुमार अग्रवाल अप्रार्थी सं. 5 उपस्थित।

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक 06.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2020 को समय बाद दोपहर 04:11 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री रोहित स्वामी मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला टोंक का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री दयाल दास स्वामी पुत्र श्री पूरब चन्द को होना बताया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में दवाईयॉ अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** 200–200 मिली के 6 पैकेट/बोतल रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री रोहित स्वामी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ. बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री रोहित स्वामी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 200–200 मिली. के 6 पैकेट में से 4 पैकेट 200–200 मिली. जिसके बैच नं. एफ–392 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2020 थी, खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद राशि देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** 200–200 मिली के 4 पैकेट लेकर 200–200 मिली के एक–एक नग को एक साथ रखकर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं कमांक आई–2574 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2574 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री रोहित स्वामी पुत्र श्री दयाल दास स्वामी एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक द्वारा मौके पर कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा श्री रोहित स्वामी पुत्र श्री दयाल दास स्वामी एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के बाहर केकडी रोड मालपुरा जिला टोंक को वारन्टी बिल हेतु पत्र प्रेषित किए गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अंकित मेडिकल्स मेहन्दी बाग टोंक का खरीद बिल प्रेषित कर खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक ने मैसर्स अंकित मेडिकल्स मेहन्दी बाग टोंक को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स सत्यम हेल्थ केयर 150/01 बेसमेन्ट शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3178 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1171/एक्ट/2020/1281 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

मैसर्स सत्यम हेल्थकेयर 150/01 बेसमेन्ट शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर को पत्र प्रेषित कर नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर मे उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्याम फार्मा एस–67, ग्राउण्ड फलोर, ब्लॉक–एस, फेज–प्रथम, बडली इण्डस्ट्रीयल एरिया बडली दिल्ली का खरीद बिल प्रेषित कर खाद्य पदार्थ **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** क्रय करना बताया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 5 श्री सुमन्त कुमार अग्रवाल उपस्थित हुआ तथा उसने अप्रार्थी सं. 1 ता. 4 को विक्रय किया गया उक्त उत्पाद अपनी फर्म का होना स्वीकार किया एवं सभी की ओर से जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट जिनकोईन ब्राण्ड (Health Supplement Dietary Supplement Zinkoin Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं.1 श्री रोहित स्वामी, अप्रार्थी सं. 2 श्री दयाल दास स्वामी, अप्रार्थी सं. 3 श्री बलदेव विजयवर्गीय व अप्रार्थी सं. 4 श्री राजेश देवजानी प्रत्येक पर शास्ति रूपये 10,000–10,000 (अक्षरे दस –दस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री सुमन्त कुमार अग्रवाल पर शास्ति रूपये 35,000 (अक्षरे पैंतीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक